बदाम बनाम दरबारा सिंह वगै0

अपील संख्या : 2023/146

03.08.2023	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री बृजमोहन गोतम की ओर यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 72/2018 प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश दिनांक 20.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे स्थगन प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कि उपरोक्त उनवान की अपील प्रार्थीया ने श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जिसमें कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। वादीगण रेस्पोन्डेंट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा एक वाद बउनवान दरबारा सिंह बनाम बदाम बाई वगैरा, वाद संख्या 100 दावा 2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेडा, जिला बून्दी के यहाँ अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज० टिनेन्सी एक्ट, वास्ते अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या 72/ प्रा. पत्र/18, प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। जिसमे अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20–11–2018 को न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा आदेश जारी कर भूमि खसरा नंबर 624 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 625 रकवा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 631 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 634 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 650 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी स्थित भूमि है तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 650 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा के परिशोधन के पश्चात 1090/650 रकबा 2 बीघा खसरा सं0 1091/650 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा बने । उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि रेस्पोन्डेंटगण संख्या 12 लगायत 39 के खाते मे अवैधानिक रूप से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी कर कृषि भूमि के रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 20–11–2018

को जारी किया गया है। जबकि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र व वाद पत्र मे आज दिन तक भी अपीलान्ट को न तो सूचना हुई है, न ही उक्त वाद व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश होने की जानकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर स्थगन आदेश जारी कर न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्त सुनवाई के अधिकार का हनन कर विधि सम्बंधी त्रुटि कारित की है। इस कारण से उक्त आदेश दिनांक 2011–2018 की क्रियान्विति स्थगित होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिकोर्ड एवं तथ्य एवं अभिवचनो का बिना अवलोकन किए ही एवं सुनवाई के नेसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना कर उक्त आदेश एक पक्षीय जारी किया है। अपीलान्ट कोउक्त आदेश की आज दिन तक भी कोई जानकारी नही है। इस कारण उक्त आदेश की क्रियान्विति स्थगित होने योग्य है। सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में कही पर भी खसरा नंबर 624 पर रहन, बैचान, भारग्रस्त करने का अभिवचन नहीं है। इस उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त खसरा नंबर 624 ग्राम जाखमुण्ड पर अन्तरिम आदेश जारी कर नियम विरूद्ध जाकर कानून के नेसर्गिक सिद्धान्तो की अवहेलना करउक्त अवेध आदेश जारी किया है। इस कारण उक्त आदेश की क्रियान्विति स्थगित होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 624 के खातेदार अपनी भूमि के हक अधिकार उपयोग उपभोग या किसी भी प्रकार के भूमि विकास के सम्बंध में रहन, बय आदि के स्वयं के अधिकार पर रोक लगाई है। जबकि रेस्पोन्डेंट सं0 1 लगायत 6 का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार व स्वत्व निहित नही है ना ही क्लेम किया है। इस उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेंट सं० 1 लगायत 6 के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर विधि सम्बंधी त्रुटि कारित की है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति स्थगित होने योग्य है। अपील के विचारण में काफी समय लगने की सम्भावना है। यदि दौराने अपील अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित नही किया गया तो अपीलान्ट को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेगी एवं प्रार्थीया का अपील करना ही निरर्थक हो जावेगा। सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित है। अन्त में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 20–11–2018 की कियान्विति अन्तरिम रूप से स्थगित रखे जाने का निवेदन किया। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वह प्रार्थीया / अपीलान्ट को प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2018 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 तथा सी.पी.सी. के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रावधानों आदेश 39 नियम 3 व 3ए की पालना अधीनस्थ न्यायालय को करनी चाहिए। हमारे समक्ष अधिवक्ता अपीलांट का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का का अंतिम निर्णय पारित नहीं कर रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी इसी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे बढ़ाते रहना चाहते है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब सी.पी.सी. के आदेश 39 के प्रकाश में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना चाहिए। इम इस स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 20.11.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। परन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं बहस के आलोक में इसी स्तर पर अपील निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत न्यायालय हाजा के आदेश के संज्ञान में आने के 45 दिवस के अंदर प्रकरण का अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करे। अपीलांट दिनांक 18.08.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा